अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

2 सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना

कार्यकारी सारांश

सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयनार्थ अगस्त 2004 में पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित को सृजित किया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित के गठन (जुलाई 2007) के साथ अगस्त 2007 में पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में विलीन कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं

प्रारम्भ में प्राकलित ₹558.53 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ प्रति मेगा वाट तथा ₹2.34 से ₹6.95 प्रति यूनिट लागत की अनुवर्ती वृद्धि सहित ₹606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत से पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। औसतन ₹3.43 प्रति यूनिट की विक्रय दर की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन लागत बहुत अधिक होगी तथा इस दृष्टि से परियोजना आरम्भ होने पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक बन जाएगी।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.7)

भारत सरकार ने ₹491.16 करोड़ के बराबर निधियों का हस्तांतरण किया जो इस परियोजना हेतु राज्य सरकार को एशियन विकास बैंक से 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा 10 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर लगने वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अपवर्तन बांध के परिरूप परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

{परिच्छेद 2.7.2 (i)}

कम्पनी ने ठेका निरस्त करने से पूर्व कार्यों की पूर्णता में विलम्बार्थ ठेकेदार से अनुबन्ध के आधार पर ₹11.59 करोड़ राशि की परिसमापन क्षतियों की वसूली नहीं की।

{परिच्छेद 2.8.2 (iv) (क)}

कम्पनी द्वारा हैड रेस टनल के कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना तथा अवरोही व्यवस्थाओं एवं विद्युत गृह पैकेजों की दोष देयता अवधि के लाभ की अप्राप्ति के अतिरिक्त जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब हुआ।

{परिच्छेद 2.8.2 (v)}

बोली दस्तावेजों में आपूर्ति की प्रत्येक खेप पर 20 *प्रतिशत* की मूल्य भिन्नता को प्रतिबंधित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.9.1)

परिचय

2.1 हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में पब्बर नदी (यमुना नदी की सहायक नदी) पर सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का नदी प्रवाह के विकास के रूप में विचार किया गया। पब्बर घाटी में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयनार्थ पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित के नाम से विशेष प्रयोजन वाहन सृजित (अगस्त 2004) किया गया और तद्नन्तर पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित इसके गठन (जुलाई 2007) पर हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में विलीन कर दिया गया था (अगस्त 2007)।

₹63.29 करोड़ के निर्माण दौरान ब्याज़ सहित 110 मेगा वाट (अब 111 मेगा वाट) की प्रतिस्थापित क्षमता की परियोजना हेतु ₹558.53 करोड़ की (मार्च 2003 मूल्य स्तर) तकनीकी आर्थिक अनुमति प्रदान (नवम्बर 2004) की गई। परियोजना की लागत सितम्बर 2009 में ₹1,165.10 करोड़ संशोधित की गई थी। परियोजना को 90 *प्रतिशत* विश्वसनीय वर्ष के दौरान 385.78 मिलियन यूनिटों तथा 50 *प्रतिशत* औसत वर्ष[1] के दौरान 506.61 मिलियन यूनिटों के उत्सर्जन को व्यस्ततम स्टेशन के रूप में परिचालनार्थ अभिकल्पित किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन को चार पैकेजों[2] में बांटा गया था तथा सभी कार्यान्वयनाधीन (अगस्त 2014) हैं।

परियोजना दिसम्बर 2011 में चालू की जानी निर्धारित थी किन्तु विभिन्न निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण अब जुलाई 2017 तक पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण तथा परियोजना व्यवहारिकता पर इसके प्रभाव के लिए निर्माण चरण पर इस परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

संगठनात्मक ढ़ांचा

2.2 अनुश्रवण एवं नियंत्रण सरकारी स्तर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (बहुद्देश्यीय परियोजना एवं विद्युत) द्वारा किया जाता है। परियोजना के सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों का समग्र नियंत्रण महाप्रबंधक, सावड़ा कुड्डू (जल विद्युत परियोजना)के अधीन

---

1 मध्यम एवं विश्वसनीय वर्षों हेतु, किन्ही वर्षों हेतु एकत्रित बढ़े हुए नदी आंकड़े को अवरोही क्रम में रखा जाता है। औसत वर्ष मध्यम वर्ष है। 90 *प्रतिशत* विश्वसनीय वर्ष एकत्रित किए गए आंकड़े हेतु कुल वर्षों का 90/100 है।

2 हैड रेस टनल, अपवर्तन बांध तथा अंतर्ग्रहण, विद्युत गृह एवं विद्युत-यांत्रिक उपकरण।

था, जिसकी सहायता के लिए तीन सहायक महाप्रबंधक, (सिविल/यांत्रिक) तथा एक सहायक महाप्रबंधक (विद्युत) है। प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित महाप्रबंधक को सूचित करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों द्वारा यह निर्धारण करना था कि:

- परियोजना पर विचार किया गया तथा किफायती ढ़ग से विद्युत आपूर्ति को अभिकल्पित किया गया;
- परियोजना का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन मितव्ययी, प्रभावपूर्ण तथा दक्षतापूर्वक किया गया;
- श्रमशक्ति आवश्यकता वास्तविक तथा इसकी प्रयुक्ति इष्टतम थी; और
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उपयुक्त अनुश्रवण तंत्र विद्यमान था।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2.4 सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के आरम्भ से कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक की गई। लेखापरीक्षा जांच में इस परियोजना के निगम कार्यालय, शिमला तथा हाटकोटी स्थित महाप्रबंधक सावड़ा-कुड्डू से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी। अनुमोदन सम्बंधी अभिलेख, सांविधिक समाशोधनों, अधिनिर्णय, कार्यान्वयन एवं पर्यावरणीय प्रभाव की संवीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रधान सचिव (विद्युत), हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ 23 अप्रैल 2014 को आरंभिक सम्मेलन से शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों व मानदण्डों की व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को प्रारूप प्रतिवेदन के रूप में 28 अगस्त 2014 को प्रबंधन/सरकार को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किया गया। समापन सम्मेलन प्रबंधन के साथ 15 अक्तूबर 2014 को हुआ तथा 27 अक्तूबर 2014 को प्राप्त उनके उत्तर उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिए गए।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने हेतु अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नवत थे:

- पर्यावरण एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से सम्बंधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सरकार, विधि द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन; परियोजना तथा गुणवत्ता नियंत्रण की छानबीन हेतु विशेषज्ञों के प्रतिवेदन।

- ठेकों के अधिनिर्णय हेतु मानक प्रक्रियांए और एशियन विकास बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
- विभिन्न ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबन्ध।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 वित्तीय प्रबन्धन

2.6.1 निधियन

इस परियोजना के कार्यान्वयनार्थ विद्युत वित्त निगम द्वारा ₹453.00 करोड़ का ऋण तथा हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्ज़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के माध्यम से एशियन विकास बैंक से ₹587.85 करोड़ का ऋण (बांध का ठेका मूल्य, विद्युत गृह से सम्बद्ध सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्य) स्वीकृत किया गया (मार्च 2003)। कम्पनी द्वारा अभी तक (मई 2014) इस परियोजना पर ₹851.62 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी।

वर्षवार बज़ट आवंटन तथा इसके प्रति अंतिम पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय को **तालिका-2.1** में दिया गया है:

तालिका-2.1

वर्ष	सिविल कार्य			विद्युत यांत्रिक कार्य		
	बजट	व्यय	प्रयुक्ति प्रतिशतता	बजट	व्यय	प्रयुक्ति प्रतिशतता
	(₹ लाख)			(₹ लाख)		
2009-10	--[3]	4287.85		--[3]	00.00	
2010-11	8582.00	10095.43	117.63	5170.00	1307.75	25.29
2011-12	20850.00	11638.53	55.82	9994.22	6416.13	64.20
2012-13	14060.00	8392.45	59.69	5091.00	4788.31	94.05
2013-14	10417.56	8802.30	84.49	2697.01	2469.91	91.58

यह देखा जा सकता है कि सिविल कार्यों की बजट की प्रयुक्ति प्रतिशतता 55.82 तथा 117.63 *प्रतिशत* के मध्य और विद्युत यांत्रिक कार्यों के मामले में 25.29 व 94.05 *प्रतिशत* के मध्य रही। बजट प्रयुक्ति में गिरावट के मुख्य कारण ठेकेदार को नक्शों का विलम्ब से देना, सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विलम्ब तथा प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण की कमी थे।

3 कम्पनी द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु बजट आंवटित नहीं किया गया।

2.6.2 अनुदान पर ब्याज़ लगाना

भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण[4] के रूप में ₹587.85 करोड़ (एशियन विकास बैंक से स्वीकृत ऋण) के प्रति ₹491.16 करोड़ (मार्च 2014 तक) के समकक्ष निधियों का हस्तांतरण किया। तथापि, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को समूची राशि ऋण के रूप में मानकर 10 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज़ प्रभारित किया जैसाकि राज्य सरकार ने कम्पनी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया था (नवम्बर 2008)। अत:, मार्च 2014 तक आहरित ₹442.04 करोड़ के अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज़ भार पड़ा, जिससे स्वच्छ ऊर्ज़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एशियन विकास बैंक द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

प्रबन्धन ने बताया कि मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है (मई 2014) तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्तूबर 2014)।

2.6.3 स्थापना लागत पुस्तांकित न करना

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ₹137.86 करोड़ (स्थापना लागत ₹112.61 करोड़ तथा डाटा केन्द्र से सम्बंधित खर्च ₹25.25 करोड़) के कुल संचित व्यय में से मार्च 2014 तक इसकी चल रही 11 परियोजनाओं पर खर्च की गई ₹44.89 करोड़ की राशि निगम कार्यालय, परिरूप कार्यालयों तथा डाटा केन्द्र की अनुपातिक स्थापना लागत परियोजना को पुस्तांकित नहीं की गई थी। इस लागत को परियोजना को पुस्तांकित करने पर समग्र परियोजना लागत प्रति यूनिट उत्पादन लागत में अनुवर्ती वृद्धि सहित बढ़ जाएगी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि प्रत्येक परियोजना के प्रति किए गए कुल व्यय के आधार पर लागत के आवंटनार्थ निर्णय वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जाएगा।

2.6.4 असम्बंधित लागत का अनियमित पुस्तांकन

पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित द्वारा सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हेतु प्रारम्भ में निर्मित (मई 2007) कार्यालय एवं आवासीय स्थान को अन्य परियोजना (चिड़गांव-मझगांव जल विद्युत परियोजना) के निर्माणार्थ प्रयुक्त किया जा रहा है तथा कम्पनी ने ₹1.04 करोड़ की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के प्रति समस्त निर्माण लागत पुस्तांकित की थी। सम्बंधित परियोजना को लागत के हस्तांतरण न होने के परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ की परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि चिड़गांव-मझगांव जल विद्युत परियोजना का उपरोक्त व्यय के पुस्तांकन सम्बंधी मामला विचाराधीन था।

---

[4] 9 *प्रतिशत वार्षिक* की ब्याज दर पर

2.6.5 स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों को ₹30.32 करोड़ का कम पुस्तांकन

राज्य सरकार द्वारा जारी जल विद्युत नीति, 2006 के प्रावधानानुसार कम्पनी ने परियोजना के प्रति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹16.92 करोड़ का प्रावधान किया। कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की ओर से मई 2014 तक ₹2.75 करोड़ का व्यय करके कुछ कार्यों का कार्यान्वयन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कम्पनी द्वारा स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यों पर किए गए व्यय (₹2.75 करोड़) पर 11 *प्रतिशत* की दर से ₹30.32 लाख की राशि के विभागीय प्रभारों को नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹30.32 लाख कम पुस्तांकित हुआ तथा कम्पनी को यह राशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति इस अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वर्तमान नीति, जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर सभी पिछली नीतियों/दिशा-निर्देशों का प्रतिस्थापन करती है, विभागीय प्रभारों को लगाना विशेष रूप से नियत नहीं करती। इसके अतिरिक्त, विभागीय प्रभारों के सम्बंध में स्वीकार्य सिद्धान्त था कि अन्य विभागों हेतु निक्षेप कार्य आधार पर किए गये कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाए जाते थे।

उत्तर स्वत: अन्य विभागों की ओर से निक्षेप कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाने को इंगित करता है। इन कार्यों को कम्पनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में कार्यान्वित किया गया था, अत: विभागीय प्रभार वसूल किए जाने चाहिए।

समय एवं लागत आधिक्य

2.7 सिविल कार्यों के अधिनिर्णय पश्चात 54 महीनों की अवधि में चालू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने ₹ 390.97 करोड़ का ऋण व ₹ 167.56 करोड़ की इक्विटी सहित परियोजना निर्माणार्थ तकनीकी-आर्थिक अनुमति प्रदान (नवम्बर 2004) की। सिविल कार्यों का अधिनिर्णय दिसम्बर 2011 में किया गया तथा परियोजना को ₹ 606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त ₹ 1,165.10 करोड़ की लागत पर जुलाई 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रत्याशित है। मार्च 2014 को समाप्त प्रत्येक घटकों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के अधिनिर्णय की तिथि, पूर्णता की देय तिथि, वर्तमान कार्य स्थिति और विलम्ब/लिया गया अधिक समय **परिशिष्ट 2.1** में विवरणित है जो दर्शाता है कि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब 27 से 69 महीनों के मध्य रहा। मुख्य घटकों की लागत में वृद्धि प्रतिशतता 31 व 1,692 *प्रतिशत* के मध्य रही जैसाकि **परिशिष्ट 2.2** में ब्यौरा दिया गया है तथा लागत में समग्र वृद्धि 109 *प्रतिशत* थी। अधिक समय व लागत के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ₹ 3.43 प्रति यूनिट पर विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से विक्रय[5] की जा रही विद्युत की विक्रय दर औसत के प्रति ₹ 1,165.10 करोड़ की संशोधित लागत पर प्रति मेगा वाट लागत वृद्धि ₹ 5.03 करोड़ से ₹ 10.50 करोड़ तथा प्रति यूनिट लागत वृद्धि (रायल्टी पर विचार किए बिना) ₹ 2.34 से ₹ 6.95 तक हुई। उत्पादन लागत

[5] 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान

बहुत अधिक थी तथा रायल्टी व व्हीलिंग प्रभारों को जोड़ने के पश्चात् और वृद्धि होगी। अत:, यह परियोजना कम्पनी के लिए वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य परियोजना बन जाएगी।

कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कार्यों की कुछ मदों की अपर्याप्तता/प्रावधान न करना, कार्य के परिरूप/क्षेत्र में तद्नन्तर परिवर्तन तथा कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को कार्यस्थलों को विलम्ब से सौंपना थे। लागत में ₹ 1,165.10 करोड़ के संशोधन की दृष्टि से भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनिकी आर्थिक अनुमति अपेक्षित थी जिसे कम्पनी ने अब तक (अक्तूबर 2014) प्राप्त नहीं किया।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब से न केवल उत्सर्जन हानि/प्रति मेगा वाट लागत वृद्धि हुई अपितु परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि भी हुई जैसाकि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.7.1 उत्सर्जन हानि

परियोजना पूर्णता में पांच वर्षों (जनवरी 2012 से जून 2017) से अधिक के विलम्ब से न केवल लागत में वृद्धि हुई अपितु लोगों को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध करवाने के सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त राज्य सरकार को ₹ 87.33 करोड़ के मुफ्त विद्युतांश के स्थगन सहित ₹ 727.77 करोड़[6] की उत्सर्जन हानि भी हुई।

2.7.2 परियोजना लागत में वृद्धि करने वाले अन्य घटक

(i) परिरूप में परिवर्तन

अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पारम्परिक अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचनाओं के निर्माणार्थ क्रमश: ₹ 43.19 करोड़ तथा ₹ 11.10 करोड़ के प्रावधान थे जिसे 3,000 *क्यूमिक्स* के अधिकतम बाढ़ स्तर पर स्वीकार किया गया। इस स्तर पर बांध की लम्बाई 118 मीटर उत्थापन पर बांध का शीर्षभाग 1,426.00 मीटर तथा चार घण्टे की चरम सीमा हेतु 136 हेक्टेयर मीटर की भण्डारण क्षमता की पर्याप्तता सहित उत्थापन पर पूर्ण जलाशय स्तर 1,423.50 मीटर नियत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि बांध का परिरूप तथा अंतर्ग्रहण पारम्परिक से 6,880 *क्यूमिक्स* संशोधित बाढ़ स्तर पर आधारित पिआनों की वीयर में परिवर्तित कर दिया जिसके कारण कार्यान्वयन की मदों की मात्राओं में वृद्धि हुई। परिरूप परिवर्तन के कारण बांध का शीर्षभाग उत्थापन 1,426.00 मीटर से कम करके 1,424.00 कर दिया, परिणामत: पूर्ण जलाशय स्तर उत्थापन 1,423.50 मीटर से कम करके 1,417.95 मीटर कर दिया जबकि भण्डारण क्षमता में 140.45 हेक्टेयर मीटर की वृद्धि दर्शाई गई, जो सम्भव नहीं क्योंकि जलाश्य की भण्डारण क्षमता पूर्ण जलाश्य स्तर में घटती ही गई। परिरूप में इस परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत

[6] 385.78 मेगा यूनिटें x 5.5 वर्ष x ₹3.43 = ₹ 727.77 करोड़ (विद्युत व्यापार निगम की औसत विक्रय दर पर)

पर ₹ 100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा जिसके लिए अगस्त 2009 के दौरान ठेकेदार[7] को कार्य का अधिनिर्णय दिया गया।

इसके अतिरिक्त, पूर्व के पूर्ण जलाश्य स्तर तथा भण्डारण क्षमता के आधार पर, 90 *प्रतिशत* विश्वसनीय वर्ष के दौरान 385.78 मिलियन यूनिटों के उत्सर्जन को परिकल्पित किया गया था। पूर्ण जलाश्य स्तर तथा जलाश्य की भण्डारण क्षमता में कमी अब परियोजना को कमी के मौसम के दौरान कम उत्सर्जन के कारण आवर्ती हानि उठानी पड़ेगी। कम्पनी द्वारा परिरूप में परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय उत्सर्जन पर भण्डारण क्षमता में कमी के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपनाया गया परिरूप 1997 के दौरान देखे गए 3000 *क्यूमिक्स* के बाढ़ स्तर पर आधारित था। तथापि, 6,880 *क्यूमिक्स* के मानक परियोजना बाढ़ स्तर की गणना 'मध्यवर्ती' श्रेणी में आने वाली अर्थात् 12 एम से 30 एम के द्रवचालित शीर्षभाग वाली संरचना हेतु, केन्द्रीय जल आयोग तथा आई एस-11223 के दिशा-निर्देशों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त, विस्तृत निर्माणावस्था सर्वेक्षण के दौरान नदी की चौड़ाई के आर-पार नदी तल स्तर एक समान नहीं पाया गया। इन चूकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जब परिशोधित किया गया तो परिणामत: ₹ 4.43 करोड़ मूल्य की 5,406 हेक्टेयर तक की भू-अर्जन आवश्यकता में कमी के अतिरिक्त पूर्ण जलाश्य स्तर की कमी सहित भी समग्र भण्डारण में वृद्धि हुई।

उत्तर इस तथ्य को इंगित करता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तर में वर्णित दिशा-निर्देश तथा आई एस-11223 भण्डारण डैमों हेतु बाढ़ परिरूप की गणना हेतु थे जबकि इस मामले में परियोजना अपवर्तन बांध और वीयर के साथ परिरूपित थी जिसको आई एस-6966 (भाग-1)-1989 प्रयोज्य था।

(ii) मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयनार्थ अपेक्षित 5,142.95 किलो वोल्ट एम्पीयर[8] की संविदा मांग सहित 4,873.128 किलो वाट का विद्युत भार स्वीकृत किया। इसमें से 2,915 किलो वोल्ट एम्पीयर की संविदा मांग सहित 2,623.5 किलो वाट भार हैड रेस टनल के विद्युत निर्माण के लिए था। ठेकेदार[9] द्वारा हैड रेस टनल के कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य को जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया। क्योंकि कम्पनी इस तथ्य से अवगत थी कि हैड रेस टनल के शेष कार्य नई निविदाओं को बनाने व आमंत्रित करने के पश्चात् दिए जाएंगे और सारी प्रक्रिया जुलाई 2014 से पहले पूर्ण नहीं की जा सकती, अत: कार्य के निरसन पर शीघ्रता से संविदा मांग को कम किया जाना चाहिए था।

---

7 मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड।

8 लेखा संख्या एस के पी बी एस-1

9 मैसर्ज अबान कोस्टल ज्वाइंट वेंचर

संविदा मांग कम न करने के कारण फरवरी 2014 से अगस्त 2014 तक की अवधि के दौरान मांग प्रभारों के भुगतान पर ₹ 53.73 लाख[10] का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि संविदा मांग को कम करने की कार्रवाई जनवरी 2014 में प्रारम्भ की गई और विलम्ब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के कारण हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी संविदा मांग की कमी हेतु अपेक्षित फीस जमा करवाने में विफल रही जो वास्तव में अगस्त 2014 में जमा करवाया गया था।

सिविल कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन

2.8 परियोजना के सिविल कार्यों में मुख्यत: जलाश्य, ट्रैंच वीयर, डी-सैंडिग प्रबन्ध, विद्युत अंतर्ग्रहण, हैड रेस टनल, सर्ज शॉफ्ट, प्रेशर शॉफ्ट, विद्युत गृह तथा टेल रेस टनल आदि के निर्माण सम्मिलित थे। इन कार्यों को तीन पैकेजों में बांटा गया था तथा ₹ 552.78 करोड़ की कुल लागत हेतु दो ठेकेदारों को दिये गये थे। इन ठेकेदारों के साथ किए गए संविदा अनुबंधों तथा कार्यान्वयन सम्बंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना के कारण, जैसाकि निम्नांकित परिच्छेदों में चर्चा की गई है, ₹ 55.28 करोड़ की परिसमापन क्षतियों की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 12.10 करोड़ के अतिरिक्त/परिहार्य व्यय को दर्शाती है:

2.8.1 सिविल कार्यों का अधिनिर्णय

(i) बोली दस्तावेज में उपयुक्त खण्ड का सन्निवेश न करने से ब्याज की सम्भावित हानि

कम्पनी ने विद्युत गृह तथा अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना पैकेजों हेतु बोली दस्तावेजों को बनाते हुए अग्रिम की वसूली को अपने वित्तीय हितों की अभिरक्षा हेतु समयबद्ध ढंग के स्थान पर कार्य प्रगति के साथ जोड़ दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कम्पनी ने फरवरी 2009 से मई 2010 के दौरान ठेकेदार[11] को दो पैकेजों[12] के प्रति ₹ 21.85 करोड़ का ब्याज मुक्त अग्रिम इसकी वसूली को कार्य प्रगति से जोड़कर जारी कर दिया। कम्पनी द्वारा इन कार्यों हेतु निधियों को ब्याज की 10 *प्रतिशत* वार्षिक दर पर जुटाया गया था, अत: कम्पनी की बुद्धिमता नहीं कि इसे ठेकेदार को अनिश्चित अवधि हेतु (कार्य प्रगति पर निर्भर) जारी कर दे।

---

10 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा यथा गणित आवश्यकता 72 किलो वोल्ट एम्पीयर अर्थात्, 2,915 किलो वोल्ट एम्पीयर -72 किलो वोल्ट एम्पीयर = 2,843 किलो वोल्ट एम्पीयर x 90% x ₹ 300/- *प्रति* किलो वोल्ट एम्पीयर x 7 महीने

11 मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग सीमित

12 पावर हाऊस एण्ड डाइवर्सन बैराज, इंटेक स्ट्रक्चर एण्ड डी-सेंडिग ऐरेंजमेंट्स पैकेजिज

अत:, कम्पनी के एशियन विकास बैंक से अनुमोदन प्राप्ति पूर्व बोली दस्तावेजों में उपयुक्त खण्ड सन्निविष्ट करने में विफल रहने के कारण फरवरी 2009 से नवम्बर 2011 की अवधि हेतु ₹ 3.96 करोड़[13] के सम्भावित ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि समयबद्ध वसूली सम्बंधित खण्ड को अब कम्पनी के मानक दस्तावेज पर आधारित हैड रेस टनल पैकेज में सन्निविष्ट कर लिया गया है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को उपरोक्त ठेकों के बोली दस्तावेजों में इसके मानक दस्तावेज के प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (अप्रैल 2007) ने भी अग्रिमों की समयबद्ध वसूली हेतु इंगित किया है।

(ii) परिहार्य हानि

अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना हेतु ठेकेदार[14] के साथ निष्पादित (सितम्बर 2009) संविदा अनुबंध की विशेष शर्तों के खण्ड 12.3 में प्रावधान है कि 125 *प्रतिशत* से अधिक की प्रमात्रा हेतु दरों को चालू बाजारी दरों पर विश्लेषित किया जाएगा। तथापि, कुछ मदों की दरें यथा रॉक बोल्ट्स, वॉयर मेश, शार्ट क्रेट तथा डिवाटरिंग आदि उपरोक्त वर्णित खण्ड से बाहर रखी गई थी और 125 *प्रतिशत* की सीमा से आगे भी संविदात्मक दरों पर भुगतान को अनुमत की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कार्यान्वयन के दौरान जल निकासी की प्रमात्रा (62वें चालू लेखा बिल तक) 1,018 *प्रतिशत* तक (अधिनिर्णय प्रमात्रा 4,45,600 किलो वाट घंटा के प्रति 49,81,814 किलो वाट घंटा) बढ़ गई थी। ठेकेदार को ₹ 11 प्रति किलो वाट घंटा की विश्लेषित बाजारी दर के प्रति संविदात्मक दर ₹ 30 प्रति किलो वाट घंटा पर भुगतान किया जा रहा था। यदि डिवाटरिंग की मद को उपरोक्त सीमा की परीधी के भीतर रखा गया होता तो ठेकेदार को ₹ 8.41 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डिवाटरिंग प्रमात्रा अत्यधिक अनिश्चित होने से उसके लिए निर्धारित विचलन सीमा तर्कशील नहीं लगती, तथापि, लेखापरीक्षा का सुझाव भविष्य की परियोजनाओं में अनुपालनार्थ विचारा जाएगा।

उत्तर स्वत: तथ्य को इंगित करता है कि डिवाटरिंग प्रमात्रा अत्यंत अनिश्चित है तथा कम्पनी के हित की अभिरक्षा हेतु विचलन सीमा खण्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पुन: कम्पनी ने लारजी जल विद्युत परियोजना के अनुभव को ध्यान में नहीं रखा, जहां डिवाटरिंग प्रमात्रा 2,635 *प्रतिशत* तक बढ़ी थी।

2.8.2 सिविल कार्यों का कार्यान्वयन

सिविल कार्यों के कार्यान्वयन से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि कम्पनी ने परिहार्य/अतिरिक्त व्यय किया जैसाकि निम्नांकित परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

---

13 ब्याज हानि की गणना इस परियोजना के लिए प्राप्त एशियन विकास बैंक ऋण पर भुगतान किये गए 10 *प्रतिशत* वार्षिक पर की गई है।

14 मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग

(i) बाजारी दरों के विश्लेषण बिना भुगतान

विद्युत गृह निर्माणार्थ ठेकेदार[15] के साथ निष्पादित (फरवरी 2009) विशेष संविदा शर्त के उप खण्ड 12.3 (iv) (ग) के साथ पठित उप खण्ड 12.3 (i) में प्रावधान है कि प्रमात्रा सीमा से अधिक होने पर प्रचलित बाजारी दरों के आधार पर 125 *प्रतिशत* से अधिक की प्रमात्रा हेतु दरों को संशोधित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि अगस्त 2009 के दौरान सर्ज शॉफ्ट की प्रमात्राएं 125 *प्रतिशत* से बढ़ गई। इसी भांति क्रमश: फरवरी 2011 तथा नवम्बर 2012 के दौरान प्रेशर शॉफ्ट की भूमिगत खुदाई व कंकरीट की प्रमात्राएं उपरोक्त सीमा से बढ़ गई किन्तु इन मदों का भुगतान अधिनिर्णित दरों पर किया जा रहा था। संविदात्मक प्रावधान के विपरीत बाजारी दरों का विश्लेषण किए बिना ठेकेदार को उपरोक्त वर्णित मदों के प्रति 125 *प्रतिशत* से अधिक प्रमात्राओं की ₹ 3.21 करोड़ की राशि अदा कर दी गई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि खण्ड में प्रयुक्त 'सम्भवत:' वाक्यांश के अनुसार ऐच्छिक था तथा ठेकेदार को चालू बाजार दरों पर गणना हेतु निवेशों की वास्तविक दरों को उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं। इस मामले में ठेकेदार ने वास्तविक दरों को नहीं दिया अत:, दरों को विश्लेषित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के प्रावधान दोनों पक्षों को प्रयोज्य थे और कोई भी पक्ष अपने वित्तीय हितों की अभिरक्षा की दरों को संशोधित कर सकता था।

(ii) परिहार्य/अतिरिक्त भुगतान

125 *प्रतिशत* की सीमा से पार अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना में खुली खुदाई की प्रमात्राओं में वृद्धि के कारण ₹ 220 *प्रति क्युम* की अधिनिर्णित दर के प्रति अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उन्हें चालू बाजार दरों पर ₹ 193 *प्रति क्युम* पर विश्लेषित किया। उसे प्रबन्धन ने सितम्बर 2012 के दौरान अनुमोदित किया तथा तद्नुसार ठेकेदार को भुगतान किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ₹ 193 *प्रति क्युम* की दरों को पुन: जून 2013 में ₹ 226 *प्रति क्युम* संशोधित किया गया। कार्य अधिनिर्णय से पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निर्माण पद्धति में वर्णित मजदूरी, ढुलाई क्षमता तथा टिप्पर की गति के समयोपरि भुगतानों के पैरामीटरों को परिवर्तित करके दरों को संशोधित किया गया था।

अत:, बाजार की दरों के विश्लेषणार्थ सितम्बर 2012 तथा जून 2013 के दौरान दरों के संशोधन तथा विभिन्न मानदण्डों को अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 34.00 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

---

15 मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग सीमित

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि दरों का संशोधन ठेकेदार के वास्तविक निवेश तथा गति, कार्यस्थल पर वस्तुत: देखे गए खाली हौल को ध्यान में रखते हुए किया गया। पुन: ठेकेदार द्वारा उसकी निर्माण पद्धति में पूर्व विचारित टिप्पर की गंदगी ढुलाई क्षमता सिद्धान्तत: सम्भव नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दरों को निर्माण पद्धति में उल्लिखित पैरामीटरों को परिवर्तित करके संशोधित किया गया था और इसकी सिद्धान्तत: सम्भावना संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई।

(iii) प्रतिस्थापित मद पर अधिक भुगतान

अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना एवं डी-सैंडिंग व्यवस्था पैकेज की विशिष्ट संविदा शर्तों के खण्ड 12.3 (iv) (क) में अनुबंधित है कि प्रतिस्थापित मदों की दरें प्रमात्राओं के बिल में उल्लिखित नजदीकी समान मद की दर से ली जानी चाहिए। कार्यान्वयन के दौरान एम-70 ग्रेड कंकरीट (800 किलोग्राम) को एम-55 ग्रेड कंकरीट (500 किलोग्राम) के साथ प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित मदों की दर (₹ 5,320 *प्रति क्युम*) एम-70 (800 किलोग्राम) तथा एम-40 (650 किलोग्राम) की औसत दरों और अपेक्षित सीमेंट की प्रमात्रा में अंतर का मूल्य घटाकर ली गई।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि एम-55 ग्रेड कंकरीट हेतु अपेक्षित सीमेंट प्रमात्रा के अनुसार प्रमात्राओं के बिल में उपलब्ध निकटतम समान मदे ₹ 4,640 *प्रति क्युम* की दर पर एम-25 (450 किलोग्राम) थी और उक्त खण्ड के अनुसार प्रतिस्थापित मद एम-55 (500 किलोग्राम) की दरें एम-25 की दर से ली जानी अपेक्षित थी जिसमें ₹ 5.50 *प्रति* किलोग्राम (अनुबंध में प्रावधित) की दर पर सीमेंट प्रमात्रा में अंतर का मूल्य जोड़ा जाना था, जो ₹ 4,915 *प्रति क्युम* निकलता है। इसके परिणामस्वरूप जून 2014 में अदा किए गए 62वें चालू लेखा बिल तक 3,420.937 *क्युम* निष्पादन पर ₹ 13.85 लाख की अधिक अदायगी हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि एम-55 की दरें निकटतम कंकरीट मिश्रणों से ली गई थी तथा एम-55, एम-40 व एम-70 के मध्य आती हैं और दर को इन दो ग्रेडों की औसत को देखते हुए लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम-55 ग्रेड हेतु सीमेंट की आवश्यकता 500 किलोग्राम थी जो एम-25 (450 किलोग्राम) के निकटतम थी इसलिए दरों को इससे लिया जाना चाहिए था न कि एम-40 (650 किलोग्राम) तथा एम-70 (800 किलोग्राम) से।

(iv) परिसमापन क्षतियों की अवसूली/अनुद्ग्रहण

(क) जुलाई 2011 की पूर्णता अवधि की शर्त पर जून 2007 के दौरान ठेकेदार[16] को दी गई हैड रेस टनल पैकेज की संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 47 में अनुबद्ध है कि यदि ठेकेदार नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं करता तो वह ऐसी चूक के लिए परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान करेगा जो राशि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग हेतु संविदा

16 मैसर्ज अबान कोस्टल ज्वाइंट वेंचर

मूल्य के 0.5 *प्रतिशत* के समकक्ष होगा। कम्पनी को भुगतान योग्य परिसमाप्त क्षतियों की कुल राशि संविदा मूल्य की अधिकतम 10 *प्रतिशत* होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि ठेकेदार कार्य को नियत अवधि के भीतर पूर्ण करने में विफल रहा तथा 31 मार्च 2014 तक का विस्तार समय (988 दिन) मांगा (अगस्त 2012)। विश्लेषण करने पर कम्पनी ने 440 दिनों का विलम्ब ठेकेदार पर डाला जिसके लिए सितम्बर 2012 के दौरान 10 *प्रतिशत* परिसमाप्त क्षतियों की सिफारिश की गई। वसूली हेतु निदेशक मण्डल के लम्बित निर्णय के होते हुए परिसमाप्त क्षतियों की वसूली किए बिना ठेकेदार से जनवरी 2014 में कार्य को निरस्त कर दिया गया। अब ठेकेदार से संविदा निरसनोपरांत ₹ 11.59 करोड़ की परिसमाप्त क्षतियों की वसूली की सम्भावना क्षीण थी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि संविदा प्रचलन के दौरान परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण पूर्व प्रभावी पग होगा तथा कार्य के हित में नहीं है। अब चूंकि कार्य का निरसन कर दिया गया है, परिसमाप्त क्षतियां विवाचन प्रक्रिया की पूर्णता के पश्चात् ठेकेदार से वसूल कर ली जाएंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसी स्थिति से यदि संविदा निरस्त करने से पहले परिसमाप्त क्षतियों को समय पर ठेकेदार की बैंक गारंटी से अथवा उसके चालू बिलों से वसूल कर बचा जा सकता था।

(ख) इसी भांति ठेकेदार[17] जून 2012 की अवधि में पूर्ण किए जाने वाले जनवरी 2009 और अगस्त 2009 में दिए गए विद्युत गृह तथा अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना पैकेजों के कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहा। कम्पनी ने परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण किए बिना दोनों ठेकों में क्रमश: दिसम्बर 2013 व सितम्बर 2013 तक समय विस्तार अनुमत किया। संविदा के प्रावधानों (संविदाओं की सामान्य शर्त के खण्ड 8.7 के साथ पठित खण्ड 14.15 (ख)) के अनुसार ₹ 43.69 करोड़ की राशि की परिसमाप्त क्षतियों की वसूली के कम्पनी के अधिकार के पूर्वाग्रह बिना पूर्णत: अवधि पुन: सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014 तक अस्थायी रूप से बढ़ा दी गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि परिसमाप्त क्षतियों की वसूली नहीं की गई थी क्योंकि यह कार्य की पूर्णता में बाधा पहुंचा सकती थी। तथापि, कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् परिसमाप्त क्षतियां विलम्ब के कारणों के निर्धारण पश्चात् ठेकेदार पर लगाई जाएंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को अपने हितों की अभिरक्षा हेतु परिसमाप्त क्षतियों के उद्ग्रहणार्थ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ठेकेदार तीन समय वृद्धियों के बावजूद कार्य पूर्ण करने में विफल रहा।

(v) ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना

हैड रेस टनल तथा एडिट्स का निर्माण कार्य ठेकेदार[18] को जुलाई 2011 की पूर्णता अवधि की शर्त पर प्राक्कलित लागत ₹ 154.60 करोड़ से 24.17 *प्रतिशत* कम ₹ 115.92 करोड़ में दिया

17 मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग सीमित

18 मैसर्ज अबान कोस्टल ज्वाइंट वेंचर

गया (जून 2007)। ठेकेदार आरम्भ (जून 2007) से ही अपेक्षित कार्य प्रगति प्राप्त करने में विफल रहा। कम्पनी ने कार्य निरसन के स्थान पर ठेकेदार को संविदात्मक प्रावधानों से ऊपर वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 29.53 करोड़ (अग्रिम, आपूर्तिकर्त्ताओं/मजदूरों को सीधे भुगतान) दिए। यद्यपि कम्पनी ने जून 2008 में कारण बताओ नोटिस जारी किया ताकि कार्य को तीसरी पार्टी के माध्यम से ठेकेदार के जोखिम व लागत पर करवाया जा सके, तथापि कार्य को वास्तव में जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया था।

32 महीनों में पूर्ण किए जाने वाला शेष कार्य अभी तक (जुलाई 2014) नहीं दिया गया था यद्यपि अन्य घटक दिसम्बर 2014 तक तैयार होने की आशा है। समय पर संविदा निरसन तथा शेष कार्य को अन्य ठेकेदार को देने के निर्णय से कार्य दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जा सकता था, पूर्णता हेतु 48 महीने (पुनर्निविदा व अधिनिर्णय हेतु 6 महीने सहित) मानकर जैसाकि पहले परिकल्पित था। यदि शेष कार्यों को अब दिया जाता है (अक्तूबर 2014) तो भी परियोजना को जुलाई 2017 से पहले चालू नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किए जाने वाले अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना तथा विद्युत गृह कार्य को हैड रेस टनल की पूर्णता पश्चात् ही जांचा जा सकता था। दोनों कार्यों में दोष अधिसूचना अवधि कार्यों की पूर्णता पश्चात् बारह महीने थी। हैड रेस टनल की पूर्णता से पहले उन कार्यों की जांच सम्भव नहीं होती, अत: कम्पनी हैड रेस टनल की पूर्णता तक अवधि बढ़ाने के बिना अनुबंध के दोष दायित्व खण्ड के लाभ नहीं ले पाएगी।

अत:, कार्य निरसन में विलम्ब के कारण परियोजना की पूर्णता में व्यापक विलम्ब हुआ था तथा अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना तथा विद्युत गृह पैकेजों की दोष दायित्व अवधि का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि कार्य को पहली बार निरस्त नहीं किया गया था क्योंकि पुन: अधिनिर्णय की प्रक्रिया में बहुत समय लगता था तथा कम्पनी इस विलम्ब को रोकना चाहती थी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकी जिससे परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

विद्युत यांत्रिक कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन

2.9 परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों को ₹ 150.99 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार[19] को फरवरी 2009 में दिया गया था। इन कार्यों के अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन से सम्बंधित अभिलेखों की संविक्षा से ₹ 30.61 करोड़ के परिहार्य तथा अतिरिक्त व्यय के मामले उद्घाटित हुए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.9.1 विद्युत यांत्रिक कार्यों का अधिनिर्णय

ठेकेदार को अधिनिर्णित विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज के भाग-1 **परिशिष्ट-2** की शर्त संख्या-3 में मूल्य समायोजनार्थ समुच्चय "संविदा मूल्य" की उच्चतम सीमा 20 *प्रतिशत* अनुबद्ध है। कम्पनी

19 मैसर्ज एंड्रिट्ज हाइड्रो प्राइवेट सीमित

ने उसी ठेकेदार को जल विद्युत परियोजना (काशंग जल विद्युत परियोजना) के विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज का अधिनिर्णय (मार्च 2010) करते समय प्रत्येक खेप पर 20 *प्रतिशत* सीमा लगाई। इसी भांति, ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने भी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल सीमित को प्रत्येक खेप पर 20 *प्रतिशत* सीमा के विचलन सीमा मूल्य सहित ऊहल-III जल विद्युत परियोजना हेतु विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज (फरवरी 2007) का अधिनिर्णय किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि प्रत्येक मद पर मूल्य विचलन सीमा प्रतिबंध न लगाने से ठेकेदार ने ₹ 11.58 करोड़ लागत के 3 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति पर ₹ 11.11 करोड़ मूल्य विचलन का दावा किया। इसे ₹ 2.32 करोड़ तक सीमित किया जा सकता था यदि कम्पनी ने प्रत्येक खेप पर 20 *प्रतिशत* की उच्चतम सीमा लगाई होती। इसके कारण ₹ 8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मूल सामग्री के मूल्य घातांकों में असामान्य वृद्धि के कारण तथा भारी सामग्री परिवहनार्थ आवश्यक संरचना की अनुपलब्धता के अतिरिक्त सिविल फ्रॅण्टों को सौंपने में विलम्ब के कारण ठेकेदार को उच्चतर मूल्य विचलन भुगतान लेने की स्थिति आई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसे बोली दस्तावेजों को बनाते समय प्रत्येक खेप पर मूल्य विचलन प्रतिबंधित करके रोका जा सकता था।

2.9.2 विद्युत यांत्रिक कार्यों का कार्यान्वयन

(i) सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण दायित्वों का परिहार्य संचय

सहमति अनुसूचि के अनुसार (अगस्त 2010 तथा अक्तूबर 2011) कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्ट देरी से उपलब्ध करवाए जाने (416 दिनों तथा 1,088 दिनों के मध्य) के कारण ठेकेदार जून 2012 की अनुबद्ध पूर्णता अवधि के भीतर उत्सर्जन यूनटों (विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज) को चालू नहीं कर पाया। विलम्ब के मुख्य कारण भारी तथा अधिक घेरे वाले उपकरण के परिवहनार्थ सड़क चौड़ी करने/पुराने पुलों को सुदृढ़ करने में विलम्ब थे। कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने हेतु संशोधित अनुसूचि के आधार पर जून 2014 तक तीन यूनिटों को चालू करने की योजना थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विलम्ब के कारण सामान्य संविदा शर्त के खण्ड 40.3 धारा-IV के अंतर्गत परियोजना अनुसूचि विस्तार के सम्बंध में ₹ 27.06 करोड़ का दायित्व संग्रिहित हुआ। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कुल ₹ 27.06 करोड़ के दावे में से ₹ 10.48 करोड़ वारण्टी अवधि के विस्तार, बैंक गारण्टी तथा जून 2014 तक 24 महीनों हेतु मशीनरी के बीमा अच्छादन हेतु था। तथापि, ठेकेदार को भुगतान जारी नहीं (जुलाई 2014) किया गया था।

कम्पनी ने निर्धारित अवधि में पूर्णत: विकसित सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विफलता तथा भारी उपकरण के परिवहन में विलम्ब को स्वीकार कर लिया (अक्तूबर 2012) तथा ठेकेदार

को दिसम्बर 2014 तक समय विस्तार अनुमत कर दिया। प्रबन्धन ने आगे बताया (अक्तूबर 2014) कि दावा विचाराधीन था और इसे संविदा प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ii) अधिक भुगतान के विलम्बित समायोजन पर ब्याज हानि

विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज के दस्तावेज 3 ए के अध्याय 4 के खण्ड 4.1.2 के अनुसार 270 मीटर बस डक्ट का प्रावधान था। कम्पनी द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण पश्चात् 12 अक्तूबर 2012 को ठेकेदार को 270 मीटर सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाण पत्र जारी किया गया। तथापि, ठेकेदार से प्राप्त उत्थापन की डॉयग्राम (25 अक्तूबर 2012) के पश्चात बस डक्ट की लम्बाई 270 मीटर की जगह 173 मीटर पाई गई।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाणपत्र के आधार पर ठेकेदार ने सामग्री प्रेषण के प्रति 270 मीटर के मूल्य पर 60 *प्रतिशत* भुगतान अक्तूबर 2012 में वसूल कर लिया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुसार कुल मूल्य पर 15 *प्रतिशत* का अग्रिम मार्च 2009 के महीने में जारी किया गया जिसमें डक्ट का मूल्य सम्मिलित था। ठेकेदार को 270 मीटर पर मूल्य भिन्नता दावा भी अदा किया गया। ठेकेदार को 97 मीटर पर ₹ 87.91 लाख का अधिक भुगतान हुआ। तथापि, कम्पनी द्वारा बिना किसी ब्याज के ₹ 19.10 लाख फरवरी 2014 तथा ₹ 68.81 लाख मई 2014 में वसूल किए जा चुके हैं।

अत:, बिना समायोजन के अधिक भुगतान जारी करने के कारण ₹ 12.29 लाख[20] की ब्याज हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि सामग्रियों के प्रेषण/प्राप्ति की अधिक अथवा कम प्रमात्रा के लिए हस्त समायोजन सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिक भुगतान को ठेकेदार को देय किसी अन्य भुगतान के प्रति समायोजित किया जा सकता था।

(iii) उपकरण के परिवहन में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी ने विद्युत यांत्रिक सामग्री की आपूर्ति हेतु ठेकेदार[21] को आदेश दिया (फरवरी 2009)। सामग्री की आपूर्ति अगस्त 2011 तक की जानी थी जिसके लिए कुछ स्थानों पर सड़क/पुलों को छैला तथा परियोजना कार्यस्थल के मध्य सुदृढ़ किया जाना था। प्रेषण अनुदेशों के जारी होने के पश्चात् (नवम्बर 2010 व दिसम्बर 2011 के मध्य) ठेकेदार ने ₹ 34.82 करोड़ मूल्य की भारी मशीनरी की आपूर्ति की जो मार्च 2012 में चण्डीगढ़/परवाणु पहुंची। कम्पनी ने मशीनरी मूल्य के 75 *प्रतिशत* (15 *प्रतिशत* अनुबंध के समय तथा 60 *प्रतिशत* सामग्री प्रेषण के समय) का ₹ 26.11 करोड़ का भुगतान जारी किया। तथापि, इन उपकरणों का परियोजना कार्यस्थल तक कुछ स्थानों पर सड़क/पुलों के उन्नयन/सुदृढ़ न होने के कारण परिवहन नहीं किया जा सका और परवाणु व चण्डीगढ़ स्थित मालगौदामों में रखना पड़ा। कम्पनी को पट्टा किराया (मार्च 2012 से मार्च 2013), चढ़ाना/उतारना और उन्हें गोदाम में रखने की परिवहन लागत के प्रति ₹ 1.70 करोड़ का वहन करना पड़ा। सड़क का सुधार तथा पुलों को सुदृढ़ करने का अपेक्षित

---

20 ₹ 19.10 लाख x274दिन x10 *प्रतिशत प्रति वर्ष* +₹ 68.81 लाख x576 दिन x10 *प्रतिशत प्रति वर्ष*

21 मैसर्ज एण्ड्रीज हाईड्रो प्राईवेट लिमिटेड

कार्य कम्पनी द्वारा ₹ 65.21 लाख का व्यय करके ठेकेदार से मार्च व मई 2013 के मध्य करवाया गया। कार्यस्थल तक सामग्री का परिवहन दिसम्बर 2013 में पूर्ण किया गया।

अत: कम्पनी द्वारा समय पर सड़क सुधार तथा पुलों को सुदृढ़ करने की कार्रवाई में विफलता के कारण ₹ 1.70 करोड़ पट्टा किराया, निर्धारित पूर्णता अवधि पश्चात् उपकरणों को लगाने पर ₹ 4.12 करोड़ की मूल्य वृद्धि तथा 60 *प्रतिशत* भुगतान जारी करने पर ₹ 4.75 करोड़ की ब्याज हानि के अतिरिक्त मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि हेतु ₹ 26.11 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामला बहुविध विभागों के सम्मिलित होने तथा कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से प्रादुर्भूत हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को परियोजना कार्यस्थल तक इसकी परिवहन की सुनिश्चितता पश्चात् ही आपूर्ति आदेश देना चाहिए था।

श्रमशक्ति प्रबन्धन

2.10 परियोजना में श्रमशक्ति आवश्यकता की तुलना में वास्तव तैनाती के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नांकित उद्घाटित हुआ:

(i) संस्वीकृत संख्या से अधिक की स्टाफ तैनाती

स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में वास्तविक तैनात श्रमशक्ति की संवीक्षा दर्शाती है कि कम्पनी ने अप्रैल 2008 से जून 2014 की अवधि के दौरान अधिक स्टाफ तैनात किया था जैसा कि **परिशिष्ट-2.3** में दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान उपरोक्त स्टाफ को भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों के सम्बंध में ₹ 2.89 करोड़ की परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि हुई।

(ii) बिना आवश्यकता के स्टाफ की तैनाती

लेखापरीक्षा संवीक्षा यह भी दर्शाती है कि कम्पनी ने परियोजना कार्यस्थल पर सात फील्ड स्टाफ (मैसन, मिक्सर आप्रेटर तथा एयर कम्प्रैशर आप्रेटर) तैनात किए जबकि सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने ऑटो कर्मशाला तथा भण्डार के बिना ही एक ऑटो सहायक और एक भण्डारपाल भी तैनात किए।

कम्पनी ने जनवरी 2006 से जून 2014 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.13 करोड़ खर्च किए जिसके कारण परियोजना लागत में ₹ 1.13 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अक्तूबर 2014) कि कुछ पद संस्वीकृत नहीं थे किन्तु विद्यमान स्टाफ की विभिन्न अन्य परियोजनाओं में लाभकारी तैनाती की गई और समग्र संस्वीकृत संख्या के भीतर श्रमशक्ति रखी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि श्रमशक्ति की तैनाती श्रेणीवार संस्वीकृत संख्या/आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए।

गुणवत्ता नियंत्रण

2.11 कार्यों के निरीक्षणार्थ तैनात सम्बंधित अभियन्ताओं द्वारा अनुश्रवण के अतिरिक्त कम्पनी ने परियोजना कार्यस्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष की स्थापना की थी ताकि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2014) निम्नांकित कमियां पाई गई:

(i) ओवर ब्रेकों के आधिक्य पर व्यय

हैड रेस टनल कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान ठेकेदार हैड रेस टनल के अपेक्षित संरेखण को प्राप्त नहीं कर सका और सुरंग के ओवर्ट में ओवर ब्रेक 7.5 *प्रतिशत* की अनुमत सीमा (संविदा के तकनीकी विनिर्देशन के खण्ड 6.5 (iv)) से अधिक पाई गई। प्रारम्भिक चरणों में ओवर ब्रेक 20 *प्रतिशत* तक थी। इसी भांति सुरंग के इनवर्ट में अण्डरकट (अदा नहीं किए गए) पाए गए और परिणामत: सुरंग की अपेक्षित ढलान प्राप्त नहीं की जा सकी जिसे परिशोधन की आवश्यकता थी। उपरोक्त खण्ड के अनुसार, यदि किसी कारण हेतु, स्वीकार्य भूगोलीय कारणों के अतिरिक्त, उत्खनन पे लाईन से बाहर की गई तो ठेकेदार अपनी स्वयं की लागत पर अधिक सामग्री को हटाने और रिक्तियों के बैकफिल का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ओवर ब्रेक के आधिक्य का कारण ठेकेदार की निकृष्ट कारीगीरी के साथ हैड रेस टनल के उत्खनन के दौरान नामित स्टाफ द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण था। ठेकेदार ने रिक्तियों के बैकफिल के स्थान पर जनवरी 2014 में कार्य के निरसन से पूर्व निश्चित पहुंचों में स्थानों को भरे बिना छोड़ दिया। इसके कारण अधिनिर्णित की जाने वाली हैड रेस टनल के शेष कार्य हेतु प्रमात्रा के बिल में सम्मिलित कंकरीट लाईनिंग की प्रमात्राएं खुली लाईनिंग हेतु 25,340 *क्युम* तक बढ़ी। इन अतिरिक्त प्रमात्राओं के कार्यान्वयनार्थ कम्पनी को ₹ 19.74 करोड़[22] की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि अब सभी कार्य ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर करवाएं जाएंगे।

(ii) अवमानक कार्य का परिशोधन न होना

परियोजना परामर्शदाता[23] ने जनवरी 2011 में प्रस्तुत कार्यस्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में कम/अधिक कंकरीट कवर अथवा क्षतिग्रस्त जल ठहराव सीलें जैसे बांध एवं अंतर्ग्रहण के कुछ कार्यों की गुणवत्ता में कुछ कमियां इंगित की थी जो परियोजना की दीर्घावधि को प्रभावित कर सकती थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ठेकेदार ने संविदा की शर्तों के अनुसार (दस्तावेज II की सामान्य शर्त के खण्ड 4.9) इन कमियों को परिशोधित नहीं किया था जो परामर्शदाता द्वारा अप्रैल 2014 में प्रस्तुत परियोजना निष्पादन अनुश्रवण प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। तीन वर्षों के भीतर परामर्शदाता द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर न करने से कार्य की गुणवत्ता के प्रति गंभीरता की कमी प्रदर्शित होती थी।

---

22 उसी कार्य के लिए कम्पनी द्वारा विश्लेषित दरों के आधार पर परिकलित

23 लेहमेयर इंटरनेशनल (इंडिया) सीमित

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि परामर्शदाता फर्म द्वारा बताई गई सभी कमियां दूर कर ली गई हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को उसके दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिए गए थे।

पर्यावरणीय मामले

2.12 *परामर्शदाता को परिहार्य भुगतान*

कम्पनी ने सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के सम्बंध में कार्बन क्रेडिट विक्रय हेतु अपेक्षित प्रलेखन एवं विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए परामर्शदाता[24] की सेवाएं प्राप्त की (दिसम्बर 2007) जिसमें परियोजना संकल्पना टिप्पणी तथा परियोजना प्रारूप प्रलेख सम्मिलित थे। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी बोर्ड/जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन सहित परियोजना कार्यकलापों के पंजीकरण के साथ-साथ वैधता के प्रति सारा व्यय जेनिथ एनर्जी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाना था, जिसके लिए वे पहले तीन वर्षों के परिचालन के दौरान उत्पादित 10 *प्रतिशत* प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के हकदार थे। परामर्शदाता परियोजना के जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ पंजीकरण तक स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना चक्र हेतु उत्तरदायी था। परामर्शदाता के अनुरोध पर कम्पनी ने दिसम्बर 2012 के दौरान उसकी ओर से जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को ₹ 28.24 लाख की पंजीकरण फीस का भुगतान किया। इस भुगतान को परामर्शदाता को ब्याज युक्त अग्रिम के रूप में वार्षिक 12.25 *प्रतिशत* मिश्रित की दर पर दिया गया। आगे अनुबंध की शर्त संख्या 3 में परामर्शदाता को ₹ 30.00 लाख की प्रतिपूर्ती का भुगतान करना नियत है यदि परियोजना चालू करने में दो वर्षों से आगे का विलम्ब होता है अथवा किसी अन्य कारण से परियोजना कार्यान्वयन बंद होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करने पर किया गया ₹ 30.00 लाख का सारा व्यय परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण निष्फल रहा क्योंकि कम्पनी को परियोजना की पूर्णता पर प्रमाणित उत्सर्जन कटौती विक्रय हेतु वही प्रक्रिया दोहराने के लिए पुनः परामर्शदाता को लगाना होगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि परामर्शदाता के प्रतिपूर्ती भुगतान को ठेकेदार के प्रति दायर किए जा रहे प्रतिदावे में सम्मिलित किया जाएगा।

संचारण लाईन की अपूर्णता

2.13 इस परियोजना द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत के निष्क्रमणार्थ कम्पनी ने अगस्त 2011 में हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित के पास ₹ 6.47 करोड़ जमा करवाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा संचारण लाईन तथा सहायक कार्यों के निर्माण का काम सितम्बर 2012 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि अधिनिर्णयानुसार संचारण लाईनों की पूर्णता अवधि अनुसूची जून 2015 थी। वन विभाग की अनुमति के कारण अधिनिर्णित सभी कार्यों की प्रत्यक्ष

[24] मैसर्ज जेनिथ एनर्जी सर्विसिज प्राइवेट सीमित

प्रगति जुलाई 2014 तक शून्य थी। कम्पनी कार्य प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रही थी तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित से महीनेवार प्रगति की मांग भी नहीं की। अतः, कार्यों को आरम्भ करने के लिए अपेक्षित आवश्यक समाशोधनों को सुनिश्चित किए बिना अगस्त 2011 में ₹ 6.47 करोड़ के भुगतान के कारण अगस्त 2011 से मई 2014 तक ₹ 1.83 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राशि को परियोजना से लाईन की आनुपातिक पूर्णता को जमा करवाया गया था तथा इस धारणा से नहीं रोका जा सका कि परियोजना में विलम्ब होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को आवश्यक समाशोधनों के पश्चात् ही राशि जमा करवानी चाहिए थी जिससे उधार निधियों का अवरोधन रोका जा सकता।

निष्कर्ष

मार्च 2012 में चालू किए जाने हेतु अनुसूचित परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका तथा अब जुलाई 2017 तक चालू की जानी अपेक्षित है। पूर्णता में असामान्य विलम्ब से परियोजना की लागत ₹ 558.53 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,165.10 करोड़ हो गई। बोली प्रलेखों को बनाते हुए मानक संविदा खण्डों/प्रक्रियाओं तथा उपयुक्त खण्डों को न अपनाना, परिरूप में उत्तरवर्ती परिवर्तन और ठेकेदारों द्वारा खराब कारीगरी आदि के कारण लागत वृद्धि हुई। विभिन्न सिविल संविदाओं को अधिनिर्णित एवं कार्यान्वित करते हुए कम्पनी ने विभिनन संविदात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को परिहार्य भुगतान हुए। विलम्ब के मुख्य कारणों में ठेकेदार को सिविल फ्रण्टों को न सौंपना तथा दोषी ठेकेदार से कार्य के निरसन में विलम्ब थे। संविदा के निरसन में विलम्ब से जल विद्युत परियोजना को चालू करने में अनुवर्ती विलम्ब होगा। ठेकेदारों के कार्यों के अनुश्रवण में भी कम्पनी विफल रही। समग्रतः, सभी स्तरों पर निरीक्षण, नियंत्रण व सतत अनुश्रवण बनाए रखने की महतर आवश्यकता थी।

सिफारिशें

कम्पनी को ध्यान देना होगा:

(i) संविदा खण्डों/दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना;

(ii) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्यों की समकालिक सुनिश्चितता ताकि निर्माण कार्यकलापों में बेमेल के कारण विलम्ब तथा अनुवर्ती वित्तीय हानियों को रोका जा सके; और

(iii) अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि ठेकेदारों द्वारा निकृष्ट कारीगिरी/अव-मानक कार्य को रोका जा सके और समय पर कार्रवाई की जा सके।

उपरोक्त बिन्दु राज्य सरकार को अगस्त 2014 में सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।